संख्या-94/2020/2315जेएल/22-3-2020-200(2)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 17 दिसम्बर, 2020*

विषय- नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध महिला बंदियों को गृह अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-29311/प्रो0अनु0(2)-215/2020/होमलीव, दिनांक 25-11-2020 में किये गये प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदियों-(1)सुनीता देवी पत्नी उमाशंकर, निवासी जनपद-पीलीभीत, महिला बंदी संख्या-1384, (2) अमृती देवी पत्नी रामस्वरूप, निवासी जनपद-पीलीभीत, महिला बंदी संख्या-1385, (3) माया देवी पत्नी नारायण लाल, निवासी जनपद-पीलीभीत, महिला बंदी संख्या-1387, (4) सियावती पत्नी रामसेवक, निवासी जनपद-इटावा, महिला बंदी संख्या-1763, (5) सुघरा पत्नी सुरेश यादव, निवासी जनपद-जौनपुर, महिला बंदी संख्या-1847, (6) मधु पत्नी शिवप्रताप, निवासी जनपद-हाथरस, महिला बंदी संख्या-2195 एवं (7) कृष्णा पत्नी अजय प्रताप, निवासी जनपद-हाथरस, महिला बंदी संख्या-2196 को दिए गये दण्डादेश के निलम्बन का प्रपत्र दो प्रतियों में संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त महिला बंदियों को आदेश में उल्लिखित धनराशि का निजी बन्धक (PERSONAL BOND) निर्धारित प्रपत्र पर भराने के पश्चात उन्हें 15(पन्द्रह) दिनों के लिए घर जाने हेतु गृह अवकाश पर मुक्त किया जाय। महिला बंदी को गृह अवकाश पर मुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि:-

I. कारागार में आचरण अच्छा रहा हो और उनके द्वारा जेल नियमों का उल्लघंन न किया गया हो।
II. न्यूनतम तीन वर्ष की अपरिहार सजा उसके द्वारा नारी बंदी निकेतन में भोगी गयी हो।
III. महिला बंदियों को उनके माता, पिता, पति, वयस्क पुत्री अथवा निकट सम्बन्धियों के संरक्षण में ही कारागार से मुक्त किया जायेगा।
IV. महिला बंदियों के निकट सम्बन्धियों की पहचान जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा किये जाने पर उन्हीं के माध्यम से कारागार से मुक्त किया जायेगा।

-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

V. उनकी मजदूरी के खाते में इतनी धनराशि हो, जिससे नारी बंदी निकेतन से अपने गृह स्थान जाने व वापस आने के यात्रा व्यय के लिए पर्याप्त हो तथा न्यूनतम रू0-10/- उनके खाते में शेष रहे।

VI. मजदूरी खाता में वांछित धनराशि न होने की दशा में महिला बंदी को गृह स्थान जाने व वापस आने का वास्तविक यात्रा व्यय हेतु अनुमोदन शासन से प्राप्त होने के उपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुसार जो महिला बंदी गृह अवकाश के लिए अर्ह न हो, उनके गृह अवकाश स्वीकृति के आदेश शासन को तुरन्त वापस कर दिए जायं।

3- उपरोक्त महिला बंदियों को शासनादेश की एक प्रति उसके प्रस्तर-2 में अवकाश की अवधि की तिथियों को भरने के पश्चात दे दें।

4- कृपया इस आदेश की प्राप्ति तुरन्त स्वीकार करें तथा इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-94/2020/2315जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश।

2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-29311/प्रो0अनु0(2)-215/2020/होमलीव, दिनांक 25-11-2020 के संदर्भ में।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in